तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/6/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष: उपस्थित है। कोरम नहीं बैठ सका। पुनः बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी श्री गोवर्धन लाल कोली ने 1 उक्त मूल प्रार्थना पत्र, श्रम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2024 तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के अपील नं. 2024/135 में पारित निर्णय दिनांक 28/03/2025 तथा प्राप्त तहसीलदार/पटवारी की प्राप्त रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए प्रार्थी प्रार्थनापत्र अनुसार के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता होने का कथन किया गया तथा पुरजोर विरोध प्रकट करते हुए पत्रावली को स्थगित करने का निवेदन किया। इसके विपक्षी वकील Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम ... हुक्म को ... में जा... तारी... हुक्म
	अप्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरे पक्षकार के पास अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिये इस प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही से स्वयं मेरे पक्षकार बरसों से स्वयं आता जाता है। तहसील की रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी मेरे हक में फैसला किया जा चुका है। यदि वैकल्पिक रास्ता होता तो पूर्व में भी हक फैसला नहीं जाता। हमारे द्वारा बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील पत्र, इस न्यायालय के पूर्व निर्णय Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 31.05.2024. न्यायालय R.B.A. कोटा के अपील सं. 2024/135 कैलाश चन्द बनाम सत्यनारायण में पारित निर्णय दिनांक 28/03/2025 तथा तहसीलदार चेचट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट [मौका रिपोर्ट] पर सम्पन्न किया किया गया। मुताबिक रिपोर्ट N.T.D.R. चेचट, पटवारी हल्का अधिकारी तथा I.L.R. मलोद दिनांक 4/5/26 राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम अमावली चेइंग संवत 2074-77 खाता सं. 219 ख.सं. 349/0.37, 350/0.01 किता 2/0.38 कैलाश पुत्र बद्रीलाल हि. 1/2 सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल हि. 1/2 जाति ब्राह्मण जा. चेचट खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मौके पर दोनो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में ...
	खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में शामलाती खाते में दर्ज है। ख.नं. 349 में से जाने के लिए मौके पर पेचट मलोद हाइवे मार्ग से ख.सं. 346 व 780/345 से होकर मार्ग संभव है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। लेकिन ख.सं. 346 व 780/345 राजस्व रिकार्ड में ख.सं. 349 व 350 के सह-खातेदार कैलाश चन्द शर्मा पुत्र बद्रीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण सा. पेचट के खाते दर्ज है। उपरोक्त दोनों खातेदार सगे भाई है। राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने पर यह स्थापित नहीं किया जा सकता	

Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चूंकि कौनसा खातेदार विभाजन के मुताबिक किस हिस्सा में काबिज है। बिना विभाजन के रास्ते का निर्धारण किया जाना सम्भावित नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचना उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित आराजी के दोनो पक्षकार आपस में सगे भाई हैं। इनके द्वारा उक्त विवादित आराजी का पूर्व में ही आपसी सहमति से विभाजन तो कर लिया है, मौके पर काबिज काश्त भी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में इन्होंने कभी विभाजन नहीं करवाया है और ये अभी तक सहखातेदार ही है। जब तक इनका राजस्व रेकार्ड में विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक यह तय (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं किया जा सकता कि किस खातेदार के हिस्से में कितनी ~~हि~~ हिस्से की भूमि आयेगी? और इसकी बाबत विभाजन के डोयनी सभी खातेदारों के लिये रास्ता स्वत: ही विधिवत रूप से रिकार्ड में दर्ज हो जायेगा। अविभाजित भूमि के संबंध में सहखातेदारों के मध्य धारा 251 A का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। दोनों ही पक्षों के पक्षकारान को यह हिदायत दी जाती है कि वे विवादित भायली विधिवत रूप से विभाजन करवाय संतोष प्राप्त करें। प्रकरण में कोई सार नहीं है। अत: खारिज किया जाता है। पत्रा: हेमल शर्मा की बाबत नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 5/6/26 को सुनाया गया। Che चारु [I.A.S.] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगं...